शतायु पार यूसुफ के पेसमेकर लगाया

कोटा, (निसं)। केशवपुरा निवासी मोहम्मद यूसुफ 107 वर्ष की आयु में हृदय रोग के लिए पेसमेकर प्रोसीजर करवाने वाले विश्व के दूसरे सबसे वृद्ध व्यक्ति बन गए हैं।

कोटा डेयरी में फ्लेवर्ड मिल्क बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन हुआ

कोटा, (निसं)। कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड कोटा में गुरुवार को फ्लेवर्ड मिल्क बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ किया गया।

प्रबंधक प्रमोद चारण ने बताया कि मुख्य अतिथि उपभोक्ता होलसेल भण्डार के अध्यक्ष हरिकृष्ण बिरला व संघ के अध्यक्ष चौन सिंह राठौड़ ने फीता काटकर प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्लांट पर फ्लेवर दूध के उत्पादन व पैकेजिंग को अतिथियों ने देखा। इस अवसर पर प्लांट मैनेजर शांतनु बैरवा, ए.ओ. शीला शर्मा व परियोजना अधिकारी दिनेश कुमार गुप्ता व सीनियर अधिकारी एस के सैनी उपस्थित रहे।

दूध उत्पादक, डेयरी व जनता को लाभ–मुख्य अतिथि हरिकृष्ण बिरला ने कहा कि आज के उद्घाटन के उपरान्त इस परियोजना से तीन लोग लाभांवित होंगे। जनता को उचित मूल्य पर फ्लेवर मिल्क उपलब्ध होगा। वहीं दूध की खपत बढ़ेगी तो दुग्ध उत्पादक किसानों को भी लाभ पहुंचेगा और साथ ही डेयरी के मुनाफे में भी वृद्धि दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरस दूध अपनी एक पहचान रखता है ऐसे में फ्लेवर दूध आने के बाद इसकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी।

स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट व इलाइची फ्लेवर–अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ ने कहा कि कोटा की जनता को अब कोटा सरस डेयरी फ्लेवर मिल्क उपलब्ध करवायेगी यह मिल्क स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट व इलाइची फ्लेवर में रहेगा। इससे पूर्व संघ को अजमेर से खरीद कर जनता को उपलब्ध करवाया जाता था। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 1.93 करोड़ की लागत इस प्लांट के निर्माण में आई है। आधा खर्च संघ ने वहन किया है और आधा नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से वहन किया गया है। प्लांट यहां शुरू होने के बाद परिवहन का खर्च तो बचेगा और कोटा वासियों को शुद्ध ताजा दूध मिल सकेगा। इसमें स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट व इलाइची फ्लेवर उपलब्ध होगें।एक बॉटल में 200 एमएल दूध आएगा जिसकी कीमत 22 रुपए होगी। एक बैच में 2000 बॉटल दूध तैयार होगा एक दिन में तीन बैच संचालित हो सकेंगे। जिससे 6000 बॉटल दूध का उत्पादन प्रतिदिन फ्लेवर दूध का उत्पादन होगा। यह दूध तीन माह तक उपयोग में लिया जा सकता है।

कोटा–बूंदी के 15 रूटों से आता है दूध–अध्यक्ष चैन सिंह ने बताया कि कोटा डेयरी में कोटा व बूंदी जिले के मार्गों से दूध आता है। जिसे यहां आने के बाद ठंडा किया जाता है। व अन्य जांच व प्रणाली के बाद उसे गोल्ड, स्टेन्डर्ड, टी स्पेशल, टोण्ड व डबल टोण्ड केटेगिरी में तैयार किया जाता है। जो 200 एमएल, 500 एमएल व 6 हजार एमएल की पेकिंग में बाजार में उपलब्ध करवाया जाता इसके साथ ही दही, छाछ (नमकीन व मीठी), लस्सी, पनीर, मावा, घी, श्रीखंड, पैठा, तैयार किया जाता है।

पोस्टर का विमोचन

कोटा, (निसं)। श्री माहेश्वरी समाज कोटा के तत्वाधान में 5 दिवसीय महेश नवमी महोत्सव का आगाज गुरूवार को माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में खेलकूद एवं प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया।

इस अवसर 5 दिवसीस कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा (पश्चिमांचल) के उपसभापति राजेशकृष्ण बिरला ने किया।

ओ पॉजिटिव रक्तदान किया

कोटा, (निसं)। न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती किडनी रोगी मरीज जिनके किडनी रोग डायलिसिस के दौरान रक्त कम रहने से दुर्लभ ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव की आवश्यकता होने पर महावीर नगर एक्सटेंशन निवासी दवा व्यवसायी सुनील शर्मा ने अपने दवा कार्य को छोड़कर तुरंत ओ पॉजिटिव रक्त यूनिट डोनेट की। एक प्रयास सोसायटी संयोजक एडवोकेट हर्षित गौतम ने बताया कि 45 वर्षीय दिनेश यादव किडनी रोग के मरीज के डायलिसिस के दौरान रक्त की बहुत कमी होने की सूचना मिलने पर एक प्रयास सोसायटी के अथक प्रयासों से आज बुधवार को शाम 6 बजे कोटा निवासी सुनील शर्मा ने रंगबाड़ी स्थित न्यू मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक पहुंचकर दुर्लभ ब्लड समुह ओ पॉजिटिव रक्त यूनिट डोनेट कर मरीज की जान बचाई। इस अवसर पर मुख्य रूप से सोसायटी संयोजक हर्षित गौतम एडवोकेट, श्याम सुंदर नागर, गुड्डू यादव, सदस्य नितेश पारेता, शोयब खान सहित अन्यों ने सहयोग किया।

पेड़ों को बचाने के लिए कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग

कोटा, (निसं)। शहर में पेड़ों को बचाने में प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ पर्यावरणप्रेमी नागरिकों ने गत दिवस जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे कर विकास कार्यों तथा अनावश्यक सीमेंट कंकरीटाईजेशन के नाम पर शहर में लाखों की संख्या में पेड़ों की हत्या हो रही है। इसे अविलम्बर रोका जाए और पेड़ों को बचाने के पर्यावरणीय कानूनों की सख्ती से पालना कराई जाए।

वन्दे भारत का तीसरे दिन कोटा शामगढ़ के मध्य सफल ब्रेकिंग ट्रायल

कोटा, (निसं)। मंडल के कोटा–शामगढ़–कोटा सेक्शन में आईसीएफ टीम एवं अनुसंधान अभिकल्प मानक संगठन, लखनऊ की टीम द्वारा गुरूवार, 25 मई को तीसरे दिन 160 किमी/घंटा की गति से कुल 25 बार ब्रेकिंग ट्रायल किया। यह ट्रायल 23 मई से लगातार जारी हैं। यह ब्रेकिंग ट्रायल आरडीएसओ, लखनऊ के निर्देशक/टेस्टिंग मनोज कुमार के निर्देशन एवं कोटा मंडल के सबंधित विभाग के अधिकारियों और पर्यवेक्षक के समन्वय से किया जा रहा है।

स्थाई एवं अस्थाई शिविरों के स्थान परिवर्तित

कोटा, (निसं)। मंहगाई राहत शिविर के स्थाई एवं अस्थाई शिविरों के स्थान में परिवर्तन किया गया है। कलक्टर ओपी बुनकर ने बताया कि निगम कोटा दक्षिण के पूर्व निर्धारित स्थाई भीतरिया कुण्ड के स्थान पर रंगबाड़ी बालाजी मंदिर, करणी विकास समिति कोटड़ी के स्थान पर बाबा मंदिर जयश्री विहार कॉलोली, योग भवन तलवंडी के स्थान पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केशवपुरा एवं 8 व 9 जून को लगने वाले अस्थाई केम्प श्रीनाथपुरम स्टेडियम के स्थान पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आरकेपुरम–बी में लगाये जायेंगे।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकारान श्री बंशीलाल व उसकी पत्नी श्रीमती चम्पा देवी निवासी खाई रोड नयापुरा कोटा राजस्थान के है। जिनकी कुल 4 संताने है जिसमें से दो पुत्र 1–डॉक्टर राजेश कुमार बड़तिया व उसकी पत्नी श्रीमती मीना बड़तिया 2–सुनील कुमार बड़तिया व उसकी पत्नी लक्ष्मी बड़तिया है जिनका मेरे पक्षकारन के प्रति व्यवहार हमेशा क्रूरतापूर्ण ही रहा है तथा ना तो यह मेरे पक्षकारान की सेवा सुश्रषा करते है और ना ही उनकी बीमारी में उनकी देखभाल करते है बल्कि उल्टा मेरे पक्षकारान को शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित करते है इसलिए मेरे पक्षकारान द्वारा उनके दोनों पुत्रों व उनकी पत्नियों एवं उनके वारिसान को मेरे पक्षकारान ने उनकी समस्त चल–अचल सम्पत्ति से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया है। कोई भी व्यक्ति उनसे किसी भी प्रकार का संव्यवहार व लेन–देन करता है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे, उनसे अब मेरे पक्षकारान का कोई संबंध नहीं है। इसके लिए मेरे पक्षकारान ने अलग से एक इकरारनामा बाबत बेदखलीनामा घोषणा पत्र भी आलेखित कर दिया है। सूचित हो।

दिनांक : 25.5.23

भवदीय
मनीष शर्मा एडवोकेट
9829066399

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, कोटा खण्ड कोटा

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त संबंधित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर /2022

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री किन्शुक जैन पुत्र श्री कमल कुमार जैन 66 उद्योग मार्ग डीसीएम मेन रोड नई धानमण्डी कोटा द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (2) के अंतर्गत "कोटा सिटी राउण्ड टेबल 358 चेरिटेबल ट्रस्ट" के संबंध में पंजीयन हेतु जांच किए जाने के लिए आवेदन–पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के संबंध में आपत्तियां यदि कोई हो तो प्रस्तुत करें।

और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन–पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 23.05.2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया।

प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 25.07.2023 है।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग कोटा

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकारान श्रीमती शारदा माहेश्वरी पत्नी स्व. श्री रामेश्वर प्रसाद जी, विशाल माहेश्वरी, विकास माहेश्वरी, निवासीगण मकान नम्बर 1-K-9 दादाबाड़ी कोटा (राज.) एवं पूजा सोढानी पुत्री स्व. रामेश्वर प्रसाद जी पत्नी श्री विष्णु कुमार सोढानी, निवासी फ्लेट नम्बर 805 टॉवर 3,8th Floor, चैलेन्जर्स CHS ठाकुर विलेज, कान्दीवली (ईस्ट) मुम्बई (महाराष्ट्रा) के है, तथा मेरे पक्षकारान के पति एवं पिता स्व. श्री रामेश्वर प्रसाद जी के स्वामित्व का एक मकान नम्बर–179 वाके कमला उद्यान कुन्हाड़ी कोटा (राज.) में स्थित है, जिस पर श्री रामेश्वर प्रसाद जी ने HDFC Ltd. कोटा से ऋण लिया हुआ था जिसका ऋण खाता सं. 623009816 है तथा उक्त वर्णित मकान के समस्त असल दस्तावेजात HDFC Ltd. कोटा में रहन (MORTGAGE) कर रखे है तथा मेरे पक्षकारान के पति एवं पिता श्री रामेश्वर प्रसाद जी का देहावसान दिनांक 24.07.2021 को हो चुका है तथा उक्त मकान के पेटे लिए गए ऋण की पूर्ण अदायगी HDFC Ltd. कोटा को की जा चुकी है, इसलिये उक्त मकान के समस्त असल दस्तावेज मेरी पक्षकार श्रीमती शारदा माहेश्वरी प्राप्त करना चाहती है, यदि इस संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म इत्यादि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस की अवधि में HDFC Ltd. कोटा फोन नं. 744243698 पर अथवा मुझसे सम्पर्क करें, कृपया सूचित हो।

कोटा
दिनांक : 25.05.2023

भवदीय
गोविन्द नामदेव एडवोकेट
मो. 9414284515

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, कोटा खण्ड कोटा

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त संबंधित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर /2022

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री बलवंत राय दाधीच पुत्र श्री रामस्वरुप निवासी राजपूत मोहल्ला वार्ड नं. 1 जाखमुण्ड तह. तालेड़ा जिला बून्दी द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (2) के अंतर्गत "प्रन्यास श्री गणेश जी महाराज (ट्रस्ट) ग्राम कैथुदा तह. तालेड़ा जिला बून्दी" के संबंध में पंजीयन हेतु जांच किए जाने के लिए आवेदन–पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के संबंध में आपत्तियां यदि कोई हो तो प्रस्तुत करें।

और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन–पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 23.05.2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया।

प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 25.07.2023 है।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग कोटा

खोया-पाया

मेरे आवास संख्या 4-G-14 महावीर नगर तृतीय कोटा की दस्तावेज निरस्तीकरण कही गुम हो चुकी है जिस किसी को भी मिले तो उक्त पते पर भेजने की कृपा करें।

पता-योगेन्द्र शर्मा पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा 4-G-14 महावीर नगर तृतीय कोटा
मो. 9664075830

पश्चिम मध्य रेल
सिविल इंजीनियरिंग (निर्माण)
ई-निविदा सूचना
खुली निविदा

भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से **उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), पश्चिम मध्य रेल, कोटा** निम्नलिखित कार्य के लिए खुली ई–निविदा आमंत्रित करते है। **क्र.स.: 1. निविदा संख्याः** उप. मु. इंजी.(नि) कोटा–04–2023-आर. **कार्य का विवरणः पश्चिम मध्य रेल के कोटा मंडल के मध्य प्रदेश राज्य में रामगंजमंडी-भोपाल नई लाइन परियोजना के संबंध में किमी 105.00 से किमी 129.00 के बीच नयागांव-खिलचीपुर-राजगढ़ स्टेशनों के बीच ट्रैक लिंकिंग और अन्य विविध पी. वे आदि का कार्य करना। निविदा खुलने की तारीखः** 14.06.2023. **अनुमानित लागतः** ₹ 11,48,98,256.89 (दो पैकेट सिस्टम)। पूर्ण विवरण वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर अपलोड की गई ई–निविदा में तथा मुख्य परियोजना प्रबन्धक, पश्चिम मध्य रेल, कोटा के कार्यालय नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है। संभावित निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे निविदा खोलने की तारीख से पहले नियमित रुप से वेबसाइट देखते रहें और निविदा में किसी भी परिवर्तन/शुद्धिपत्र पर ध्यान दें। ऑफर सिर्फ ई–निविदा के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे। ई–निविदा के अतिरिक्त किसी भी अन्य माध्यम से निविदा ऑफर स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

संख्या–उप.मु.इंजी./निविदा आमंत्रण सूचना/कोटा/10/2023, दि. 23.05.2023

कोरोना से बनाना है दूरी तो वेक्सीन लगवाना है जरुरी।

प्रारूप-10 (नियम 6 (7) देखिए)

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय...नगर परिषद बून्दी (राज.)

क्र.सं. 1530 **लोक सूचना** दिनांक-25.5.23

आवेदक श्री युवराज शाक्यवाल पुत्र श्री धनराज निवासी बूंदी ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक व्यवसायिक प्रयोजनार्थ (एकल पट्टा) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
तहसील बून्दी जिला बून्दी	ग्राम छत्रपुरा	2861/2206	1.9533 है. भूमि में से 2864 वर्गमीटर

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृत अधिकारों के निर्वाचन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपयुर्क्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधिन आज दिनांक..........को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी का नाम और मुहर

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांकः-उ.आ.आ./को.वृ.को./2023-2024/732 **जाहिर आम सूचना** दिनांकः 16.5.23

आवास संख्या 2 ई 32 विकास नगर बून्दी का आवंटन मंडल द्वारा श्री मोहनदास टेकवानी पुत्र श्री आसनदास को किया गया। श्री मोहनदास द्वारा उक्त आवास का बैचान इकरारनामा, मुख्तारनामा एवं वसीयतनामा आलेखित कर दिनांक 13.06.1995 को श्री मोड़ूलाल वर्मा पुत्र श्री भंवरलाल रेगर को किया गया। मूल आवंटी श्री मोहनदास टेकवानी पुत्र श्री आसनदास द्वारा पूर्व में दिनांक 13.06.1995 को श्री मोड़ूलाल वर्मा पुत्र श्री भंवरलाल रेगर को बैचान किए गए दस्तावेज इकरारनामा, मुख्तारनामा, वसीयतनामा को निरस्त करने बाबत निरस्तीकरण पत्र दिनांक 14.12.2022 आलेखित किया गया। मूल आवंटी श्री मोहनदास टेकवानी द्वारा इकरारनामा, मुख्तारनामा, वसीयतनामा दिनांक 14.12.2022 को पुनः श्री मोड़ूलाल वर्मा पुत्र श्री भंवरलाल रेगर के नाम आलोखित किए है। श्री मोड़ूलाल वर्मा द्वारा अपने पक्ष में नियमितिकरण हेतु इस कार्यालय में दिनांक 18.01.2023 को आवेदन किया गया है।

अतः इस आवास का नियमितिकरण श्री मोड़ूलाल वर्मा पुत्र श्री भंवरलाल रेगर के नाम करने में किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवास का नियमितिकरण श्री मोड़ूलाल वर्मा पुत्र श्री भंवरलाल रेगर के नाम किए जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का नियमितिकरण श्री मोड़ूलाल वर्मा पुत्र श्री भंवरलाल रेगर के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 823 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 25.5.23

आवास संख्या 1–एच–28 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री सुरेश कुमार जोशी पुत्र श्री नाथमल जोशी को किया गया। इस आवास का नियमितिकरण श्री घनश्याम मिश्रा पुत्र श्री रामाज्ञा मिश्रा के नाम दिनांक 24.07.1997 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री घनश्याम मिश्रा पुत्र श्री रामाज्ञा मिश्रा द्वारा दिनांक 02.09.1999 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरांत श्री घनश्याम मिश्रा पुत्र श्री रामाज्ञा मिश्रा द्वारा इस आवास से संबंधित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 08.08.2013 को श्री केशवनाथ तिवारी पुत्र स्व. श्री अमरनाथ तिवारी को मुख्तारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री केशवनाथ तिवारी पुत्र स्व. श्री अमरनाथ तिवारी द्वारा मुख्तार आम धारक की हैसियत से उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 15.09.2014 को श्री रामलाल विश्नोई पुत्र श्री हरींगाराम को किया गया। श्री रामलाल विश्नोई पुत्र श्री हरींगाराम का नाम दिनांक 19.09.2016 को मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्री रामलाल विश्नोई पुत्र श्री हरींगाराम द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 07.11.2016 को श्री भूपेन्द्र कुमार पोरवाल पुत्र स्व. श्री रामेश्वर दयाल पोरवाल को किया गया। श्री भूपेन्द्र कुमार पोरवाल पुत्र स्व. श्री रामेश्वर दयाल पोरवाल द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री भूपेन्द्र कुमार पोरवाल पुत्र स्व. श्री रामेश्वर दयाल पोरवाल के नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री भूपेन्द्र कुमार पोरवाल पुत्र स्व. श्री रामेश्वर दयाल पोरवाल का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री भूपेन्द्र कुमार पोरवाल पुत्र स्व. श्री रामेश्वर दयाल पोरवाल के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांकः-एफ11/विक्रय/2023/370 दिनांकः-25.5.23

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा आवास संख्या 816 विवेकानन्द नगर आवासीय योजना में आवंटन पत्र क्रमांक 202 दिनांक 31.03.2001 को श्रीमती बानो पत्नी श्री अहमद शकूर के नाम आवंटन किया गया था। श्रीमती बानो पत्नी श्री अहमद शकूर द्वारा उक्त आवास का जर्ये मुख्तारआम श्री दिनेश आजाद पुत्र श्री जानकी लाल आजाद द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.12.2007 को श्रीमती स्नेह लता गोठानिया पत्नी श्री दौलत गोठानिया को विक्रय कर दिया गया है। अतः श्रीमती स्नेह लता गोठानिया पत्नी श्री दौलत गोठानिया द्वारा उक्त आवास का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास संख्या 816 विवेकानन्द नगर आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्रीमती स्नेह लता गोठानिया पत्नी श्री दौलत गोठानिया के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांकः-एफ11/विक्रय/2023/369 दिनांकः-25.5.23

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा योजना आरोग्य नगर भूखंड संख्या 97 का आवंटन पत्र क्रमांक 1192 दिनांक 09.08.1996 को श्री प्रदीप सक्सेना पुत्र श्री हरिराम सक्सेना के नाम आवंटन किया गया था। जिसके उपरान्त क्रेता श्री प्रदीप सक्सेना पुत्र श्री हरिराम सक्सेना की मृत्यु दिनांक 24.08.2022 हो गयी है। मृत्यु उपरांत श्री प्रदीप सक्सेना पुत्र श्री हरिराम सक्सेना के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आईडी इत्यादि के आधार पर श्री अभिनव सक्सेना पुत्र स्व. श्री प्रदीप सक्सेना एवं अंकुर सक्सेना पुत्र स्व. श्री प्रदीप सक्सेना द्वारा उक्त भूखंड संख्या 97 आरोग्य नगर अपने नाम हस्तान्तरण करने की स्वीकृति नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अतः जरीये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखंड संख्या 97 योजना आरोग्य नगर का नामहस्तान्तरण श्री अभिनव सक्सेना पुत्र स्व. श्री प्रदीप सक्सेना एवं अंकुर सक्सेना पुत्र स्व. श्री प्रदीप सक्सेना के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांकः-3213 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांकः-25.05.23

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा भूखंड/आवास/दुकान संख्या 418–बी रिखबचन्द धारीवाल अधिवक्ता (रानपुर) आवासीय योजना में का आवंटन न्यास के पत्र दिनांक 24.09.2012 को श्री धनराज बैरवा पुत्र श्री मदन लाल के नाम किया गया था। श्री धनराज बैरवा पुत्र श्री मदन लाल द्वारा नियुक्त मुख्तारआम श्रीमती रंजना बैरवा पत्नी श्री जगदीश प्रसाद बैरवा ने उक्त भूखंड/आवास/दुकान का विक्रय जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.02.2023 को श्रीमती बजरंगी बाई बैरवा पत्नी श्री चतुर्भुज बैरवा को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा उक्त भूखंड के नामहस्तान्तरण की स्वीकृति नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास/दुकान संख्या 418–बी योजना रिखबचन्द धारीवाल अधिवक्ता (रानपुर) आवासीय का नाम हस्तान्तरण श्रीमती बजरंगी बाई बैरवा पत्नी श्री चतुर्भुज बैरवा के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांकः एफ 7/डी.टी.पी./2023/877-881 **विज्ञप्ति** दि. 25.05.2023

राज्य सरकार द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के बनाये गए नियमों/प्रपत्रों के अन्तर्गत एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दि.24.2.2021 के क्रम में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण, भू–उपयोग परिवर्तन करने हेतु न्यास मे विचाराधीन है, जिसकी विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है, के भू–उपयोग परिवर्तन बाबत् किसी को आपत्ति हो तो 15 दिवस मे न्यास कार्यालय में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नही किया जा सकेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड/खसरा सं. व योजना/ ग्राम का नाम	मास्टर प्लान अनुसार भू–उपयोग	प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर मे)
1.	श्री भगवान सिंह चौहान	खसरा संख्या 477, 478, 479, 483, 487, 477/2008, 483/2009, 487/2010 ग्राम नान्ता	मिश्रित / आवासीय	होटल (पर्यटन इकाई)	7400

सचिव नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांकः-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2023/16968-69 दिनांकः 25.5.23

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री भगवान सहाय जैन पुत्र स्व. श्री नेमीचन्द जैन, श्री चन्द्रप्रकाश जैन पुत्र स्व. श्री नेमीचन्द जैन एवं श्री निर्मल कुमार जैन पुत्र स्व. श्री नेमीचन्द जैन निवासी भूखंड संख्या 444–ए तलवण्डी कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 444–ए तलवण्डी कोटा क्षेत्रफल 4500 वर्गफुट का स्वामित्व स्वयं के नाम कराने का निवेदन किया है। भूखंड संख्या 444–ए तलवण्डी कोटा क्षेत्रफल 4500 वर्गफुट का आवंटन कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा पत्र क्रमांक एफ(8474)आवंटन/न.वि.न्या./71–72 दिनांक 08.07.1974 से त्रिभुवननाथ चतुर्वेदी पुत्र श्री मदनमोहन चतुर्वेदी को किया गया। श्री त्रिभुवननाथ चतुर्वेदी ने जर्ये रजिस्टर्ड मुख्तार नामा आम दिनांक 09.01.1986 से श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री नेमीचन्द को उक्त भूखंड का मुख्तार आम नियुक्त कर दिया। श्री चन्द्र प्रकाश ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.03.1990 से उक्त भूखंड श्री नेमीचन्द अग्रवाल पुत्र श्री केसरी लाल को विक्रय कर दिया। श्री नेमीचन्द अग्रवाल ने जर्ये नोटेरी वसीयतनामा दिनांक 15.04.2017 से उक्त भूखंड की वसीयत श्री भगवान सहाय जैन पुत्र स्व. श्री नेमीचन्द जैन, श्री चन्द्रप्रकाश जैन पुत्र स्व. श्री नेमीचन्द जैन एवं श्री निर्मल कुमार जैन पुत्र स्व. श्री नेमीचन्द जैन के नाम कर दी। श्री नेमीचन्द अग्रवाल का देहावसान दिनांक 06.01.2021 को हो जाने के उपरांत आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण आवेदकों के पक्ष में करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त, नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

G20
आज़ादी का अमृत महोत्सव
एक पारदर्शी अर्थव्यवस्था का निर्माण
हम सभी का उत्तरदायित्व है
वित्तीय संव्यवहार विवरणी (SFT)
जमा करने की अंतिम तिथि
31 मई, 2023
JAANKARI BABU

अगर आप

- उप पंजीयक
- सहकारी बैंक
- बैंकिंग कंपनी
- एनबीएफसी
- निधि
- पोस्ट मास्टर जनरल
- शेयर, बॉण्ड, डिबेंचर जारीकर्ता
- म्यूचुअल फंड ट्रस्टी या म्यूचुअल फंड मामलों के प्रबंधक
- विदेशी मुद्रा डीलर
- वस्तु या सेवा आपूर्तिकर्ता (जिनके खातों की आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44AB के अंतर्गत लेखापरीक्षा अपेक्षित है)
- कंपनी जो लाभांश दे रही है
- कंपनी जो अपने शेयर वापस खरीद रही है

तो आपको

आयकर अधिनियम, 1962 के नियम 114E के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान तीसरे पक्ष के साथ किए गए लेन–देन के लिए फॉर्म संख्या 61A में वित्तीय लेनदेन का ऑनलाइन विवरण दर्ज करना आवश्यक है।

पंजीकरण और जमा कराने हेतु कृपया https://report.insight.gov.in पर जाएं।
हालांकि, उप पंजीयक और डाक कार्यालय टिन सुविधा केंद्रों में एसएफटी जमा कर सकते हैं। विवरण www.tin-nsdl.com पर उपलब्ध है।

कृपया ध्यान दें

- 1000 /– रुपये तक प्रतिदिन की शास्ति से बचने हेतु देय तिथि तक एसएफटी फाइल करें।
- गलत फाइलिंग या गलत विवरण भरने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

सहायता के लिए कृपया अपने राज्य/क्षेत्र के डीआईटी (आई एंड सीआई) से संपर्क करें। संपर्क विवरण https://incometaxindia.gov.in/Documents/departmental-directory.pdf पर उपलब्ध है

ई-ब्रोशर के लिए, क्यू आर कोड स्कैन करें

आयकर विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

और अधिक जानकारी के लिए, कृपया https://report.insight.gov.in पर विजिट करें

अधिक जानकारी के लिए, क्यू आर कोड स्कैन करें

@IncomeTaxIndia @IncomeTaxIndiaOfficial @IncomeTaxIndiaOfficial @Income Tax India @ Income Tax India Official

cbc 15401/13/0003/2324